उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ

सं0: 1269– कार्य/चौदह/पाकालि/2011–120के/2011 दिनांक 03 –11–2011.

" कार्यालय ज्ञाप"

आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत ऊर्जा लेखांक (इनर्जी एकाउन्टिंग) के सम्बन्ध में प्राप्त एवं विक्रय की गई ऊर्जा के डेटा बेस तैयार करने हेतु मेसर्स पी0एफ0सी0 द्वारा नियुक्त सलाहकार मेसर्स वाप्कोस से प्राप्त सूचना के अनुसार 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर लगे अधिकांश मीटरों के क्रियाशील न होने के कारण डेटा बेस तैयार करने में अनावश्यक विलम्ब होना पाया गया। उक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 12–10–2011 को पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 के अधिशासी अभियन्ताओं (परीक्षण) के साथ सम्पन्न बैठक में चर्चा के अनुसार सम्प्रति विभिन्न उपकेन्द्रों से निर्गमित 11 के0वी0 पोषकों पर स्थापित मीटरों के खराब पाये जाने पर उन्हें परिवर्तित किये जाने का दायित्व अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) का है लेकिन उससे सम्बन्धित उपकरण यथा सी0टी0 एवं पी0टी0 को परिवर्तित किये जाने एवं अनुरक्षण का दायित्व अधिशासी अभियन्ता (वितरण) का है।

आर–ए0पी0डी0आर0पी0 के क्रियान्वयन में उपकेन्द्रवार वास्तविक ऊर्जा की प्राप्ति एवं विक्रय की गई ऊर्जा के प्रतिमाह आन लाइन लेखांकन के दृष्टिगत प्रयोगिक तौर पर पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 के कार्यक्षेत्र हेतु एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपकेन्द्रों पर स्थापित 11 के0वी0 पोषकों के मीटरों को निरन्तर कार्यशील रखने एवं उससे सम्बन्धित उपकरण यथा सी0टी0/पी0टी0 को कार्यशील रखने का उत्तरदायित्व अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) का होगा। इस हेतु इन उपकरणों को भण्डार केन्द्रों से प्राप्त करने, आवश्यकतानुसार क्रय करने एवं बदले जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व भी अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) का ही होगा। अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) खण्ड अपने कार्यक्षेत्र में स्थापित स्वचगीयरों के अनुसार प्रत्येक मेक के कम से कम एक या आवश्यकतानुसार दो सी0टी0/पी0टी0 सीधे मूल उत्पादक से क्रय करते हुए स्पेयर में रखना सुनिश्चित करेगें जिससे क्षतिग्रस्तता की स्थिति में इन्हें तत्काल बदला जा सके।

मीटर एवं मीटरिंग से सम्बन्धित उपकरणों को परिवर्तित किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार शट डाउन तत्काल उपलब्ध कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) खण्ड का होगा। शट डाउन उपलब्ध कराने एवं सामग्री उपलब्धता के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। अधीक्षण अभियन्ता सभी मीटरों के क्रियाशील रहना सुनिश्चित करने हेतु पाक्षिक बैठक कर प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित निगम को उपलब्ध करायेगें।

06 माह पश्चात उपरोक्त व्यवस्था की समीक्षा कर अन्य वितरण निगमों हेतु तदनुसार आदेश बाद में निर्गत किये जायेगें।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं0: – कार्य/चौदह/पाकालि/2011–120के–2011/तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इन आदेशों के क्रियान्वयन के पश्चात गुणावगुण के आधार पर अपने स्तर से समीक्षा कर, अग्रिम कार्यवाही हेतु अपनी आख्या अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को 06 माह के अन्दर प्रस्तुत करेगें।

आज्ञा से,

(बी0बी0गोयल)
उप सचिव (कार्य)

संo: 1269 (2) कार्य/चौदह/पाकालि/2011–120के–2011/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/केस्को।

2– मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य/रेस्पो), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3– समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/केस्को।

4– समस्त अधीक्षण (वितरण), दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/पूर्वान्चल/केस्को।

5 समस्त अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण /वितरण) दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/पूर्वान्चल/केस्को।

आज्ञा से,

(बी0बी0गोयल)
उप सचिव (कार्य)